आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या - पं.नि. 30-234/2021- 3923

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

सभी जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक - 14.9.21

विषय : पंचायत निर्वाचन, 2021 के अवसर पर मतदान केन्द्र/मतगणना कक्ष के अंदर समाचार के कवरेज हेतु इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया से संबंधित कर्मियों को प्रवेश पत्र/प्राधिकार पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार पंचायत आम निर्वाचन में व्यापक पैमाने पर जनसाधारण की भागीदारी होती है। आयोग की दृष्टि में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया को यथाशक्य पारदर्शी रखना अत्यन्त आवश्यक है। इस दिशा में इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया द्वारा निर्वाचनों का कवरेज एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी कदम साबित हो सकता है।

2. विधि एवं व्यवस्था के संधारण हेतु सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लगायी गई किसी भी पाबंदी (restrictions) के अध्यधीन रहते हुए, मीडिया कर्मी सहित किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ मतदान हो रहा है, घूमने और निर्वाचन को देखने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है **लेकिन मतदान केन्द्रों/ मतगणना केन्द्रों में प्रवेश उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों के अधीन ही विनियमित किया जा सकेगा ताकि निर्वाचन नियमों एवं मतदाताओं के अधिकार को प्रभावित किए बिना मीडिया पर्याप्त एवं प्रभावकारी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया का कवरेज कर सके।**

3. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 58 एवं 74 का संगत अवतरण सुलभ संदर्भ हेतु उद्धृत किया जाता है -

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

"नियम 58 **मतदान केन्द्र में प्रवेश** — पीठासीन पदाधिकारी मतदाताओं की ऐसी संख्या को विनियमित करेगा जिसमें वे मतदान केन्द्र के अन्दर किसी एक समय प्रवेश कर सकेंगे, और

(क) मतदान पदाधिकारियों,

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यरूढ़ लोक सेवकों,

(ग) आयोग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों ,

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं और इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी के एक-एक मतदान अभिकर्त्ता,

(ङ) मतदाता के साथ गोद वाला शिशु,

(च) दृष्टिहीन/निःशक्त मतदाता, जो सहायता के बिना चल-फिर नहीं सकता, के साथ वाला व्यक्ति , और

(छ) ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी मतदाताओं की पहचान के लिए नियोजित करे, के सिवाय सभी अन्य व्यक्तियों को वहां से हटा देगा।"

उक्त नियमावली के नियम 74 में मतगणना केन्द्र में प्रवेश से संबंधित प्रावधान हैं जिसका संगत अवतरण निम्नवत है :-

"नियम 74 **मतगणना के लिये नियत किये गये स्थान में प्रवेश**–(1) निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, मतगणना के लिये नियत स्थान से —

(क) ऐसे व्यक्ति को जिसे वह मतगणना में सहायता करने के लिये नियुक्त करे,

(ख) आयोग या जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

(ग) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक और

(घ) अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता को छोड़कर, अन्य व्यक्ति को हटा देगा।"

4. सभी संगत तथ्यों एवं कारकों (factors) पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि :-

(क) <u>मतदान के संबंध में:</u>

(i) पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में मतदाताओं के फोटो लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, **परन्तु बगैर आयोग द्वारा दिए गए प्राधिकार पत्र के इन्हें मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही कोई फोटो खिंचने की अनुमति दी जाएगी। <u>किसी भी परिस्थिति में फोटोग्राफर/पत्रकार को मतदान कोष्ठ (जहाँ मतदाता मतपत्र पर निशान लगाता है अथवा ई.वी.एम. के माध्यम अपनी पंसद के अभ्यर्थी से संबंधित बटन दबाता है।) में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।</u>**

(ii) प्राधिकार पत्र का सत्यापन कर लेने के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी मीडियाकर्मियो को मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति देगा। प्राधिकार पत्र निर्गत करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मतदान केन्द्र में मीडिया कर्मियों की अनावश्यक भीड़ न हो; उनके कारण मतदाताओं

तथा मतदान कर्मियों को कोई असुविधा न हो तथा मतदान की गोपनीयता किसी भी स्थिति में भंग न हो। अगर पीठासीन पदाधिकारी को यह महसूस हो कि मीडिया कर्मियों की उपस्थिति से मतदान की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित हो रही है, तो वह मीडिया कर्मियों को तुरंत बाहर जाने का आदेश दे सकता है। मीडिया कर्मियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जाएगी कि पीठासीन पदाधिकारी के निदेशों का उन्हें अक्षरशः पालन करना होगा।

(iii) इलेक्ट्रोनिक मीडिया की टीम में एक से अधिक व्यक्ति रहने पर **प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर ही उन्हें मतदान केन्द्र के बाहर कतार में मतदाताओं के फोटो/ विडियोग्राफी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उन्हें मतदान केन्द्र के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(ख) **मतगणना के संबंध में:**

(i) मतगणना केन्द्र परिसर में भी मीडिया कर्मी हेतु बैठने के लिए अलग से मिडिया सेंटर की व्यवस्था की जाएगी जिसमें टेलीफोन सेट एवं टीवी सेट की व्यवस्था रहेगी। मतगणना के समय निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक राउण्ड के परिणाम की घोषणा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से करेगा, जिसका साउण्ड बॉक्स मतगणना केन्द्र के बाहर होगा। मतगणना के सीमित कवरेज के लिए ऑडियो विजुअल समूहों (audio-visual groups) को मतगणना के प्रभारी पदाधिकारी के नियंत्रण में अंदर जाने की इजाजत दी जा सकती है। मतगणना कक्षों से प्रत्येक पद के लिए प्राप्त निर्वाचन परिणाम की विवरणी की एक प्रति कोषांग के प्रभारी द्वारा प्राप्त कर मिडिया कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात इसकी प्रति दूरदर्शन/ आकाशवाणी / लोक सूचना ब्यूरो को दी जा सकती है। निर्वाचन परिणाम आयोग के वेबसाइट पर आलोडेड होगा। **किसी भी परिस्थिति में अनाधिकृत मीडिया कर्मी का मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

(ii) मिडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र निर्गत करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मतगणना केन्द्र में मीडिया कर्मियों की अनावश्यक भीड़ न हो; उनके कारण मतगणना कर्मियों को कोई असुविधा न हो। अगर निर्वाची पदाधिकारी को यह महसूस हो कि मीडिया कर्मियों की उपस्थिति से मतगणना की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित हो रही है, तो वह मीडिया कर्मियों को तुरंत बाहर जाने का आदेश दे सकता है। मीडिया कर्मियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जाएगी कि निर्वाची पदाधिकारी के निदेशों का उन्हें अक्षरशः पालन करना होगा।

5. मतदान एवं मतगणना केन्द्र में प्रवेश के इच्छुक मिडिया कर्मियों को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2021 तक संबंधित मिडिया कर्मियों से आवेदन प्राप्त कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ आयोग को प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु अग्रसारित किया जायेगा। विभाग उन्हीं मिडियाकर्मी का नाम अग्रसारित करेगा जिनकी मौलिकता (genuineness) के संबंध में वह आश्वस्त हो तथा वह पी0आई0बी0 द्वारा मान्यता प्राप्त (accredited) विभाग द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने की अनुशंसा युक्तियुक्त संख्या के अधीन ही की जानी चाहिए।

6. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग दिनांक 18.09.2021 तक प्राप्त सभी आवेदनों पर विभाग की अनुशंसा के साथ आयोग को भेजेगा। विभाग द्वारा टुकड़े-टुकड़े (piece-meal) में प्राप्त अनुशंसाओं पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

7. प्रत्येक आवेदक को अपने नाम, पद, समाचार एजेन्सी/ समाचार पत्र/ पत्रिका/ इलेट्रोनिक मिडिया जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है एवं क्षेत्र जहाँ वह कवरेज हेतु जाना चाहता है, का पूर्ण विवरण देते हुए आवेदन देना होगा। एक आवेदक अपनी इच्छानुसार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जाने के लिए स्वतंत्र है। इलेक्ट्रोनिक मिडिया टीम में एक से अधिक व्यक्ति रहने पर प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग प्राधिकार पत्र लेने की आवश्यकता होगी।

8. किसी भी परिस्थिति में कोई भी बहुप्रयोजनीय (omnibus) प्राधिकार पत्र आयोग द्वारा नहीं दिया जायेगा। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को सूक्ष्मतापूर्वक सभी अनुरोध पत्रों को देखते हुए एवं सभी संगत कारकों (factors) को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुशंसा युक्ति-युक्त सीमा के अन्दर आयोग को भेजनी चाहिये।

9. आयोग सीधे किसी व्यक्ति/ एजेंसी से कवरेज का अनुरोध सामान्यतः स्वीकार नहीं करेगा। यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जिम्मेवारी होगी कि **प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार किया जाए तथा ठीक समय पर आयोग को अनुशंसाएं भेज दी जाए।**

10. जिला स्तरीय मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों को प्राधिकार पत्र आयोग के उप सचिव के हस्तलिखित हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। **हस्ताक्षर की अनुलिपि (facsimile) अथवा रबर स्टाम्प का प्रयोग नहीं किया जाएगा।** आयोग एवं जिला स्तर पर निर्गत प्राधिकार पत्रों की पंजी संधारित की जाएगी जिसमें मीडिया कर्मी का नाम एवं प्राधिकार पत्र का क्रमांक उल्लिखित रहेगा। **अनुमोदित सूची के नामों को दूसरे व्यक्ति के नाम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।**

11. निर्वाची पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी एवं निर्वाचन से जुड़े अन्य किसी अधिकारी को यह पूर्ण **अधिकार है एवं यह उसका उत्तरदायित्व भी है कि बिना प्राधिकार पत्र वाले व्यक्तियों को मतदान / मतगणना केन्द्र से दूर रखे।**

12. प्राधिकार पत्र आयोग द्वारा अधिरोपित उन शर्तों के अध्यधीन होंगे जो उन प्राधिकार पत्रों पर अंकित रहेंगे। किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर प्राधिकार पत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे।

13. सरकारी मीडिया, यथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन एवं केन्द्रीय अथवा राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी, सूचना निदेशालय/ क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय के अधिकारी आदि को मतगणना केन्द्र / मतदान केन्द्र में प्रवेश करने में कोई विशेष रियायत या प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अन्य मीडिया कर्मियों की तरह प्राधिकार पत्र रहने पर ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विदेशी मीडिया/ पत्रकारों पर भी वही प्रतिबंध लागू होंगे। किसी को भी विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। अगर कोई अधिकारी आयोग के निदेशों को विपरीत मीडिया को सुविधा देता है या दिए जाने की इजाजत देता है तो इसे अत्यन्त गंभीरता से लिया जाएगा।

14. मतदान केन्द्र /मतगणना कक्ष के अन्दर पत्रकारों/फोटोग्राफरों के प्रवेश के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वे सभी दिशा निर्देश दूरदर्शन/टी.वी. चैनल के फोटोग्राफर/संवाददाताओं के मामले में भी लागू होंगे।

15. मतदान केन्द्रों /मतगणना केन्द्रो में प्रवेश हेतु दिए जाने वाले प्राधिकार पत्र का नमूना संलग्न है। इसकी पर्याप्त प्रतियां अपने स्तर पर तैयार कर ली जाएं तथा सभी पर लगातार क्रमांक अंकित कर उसे आवश्यकतानुसार निर्गत किया जाए। निर्गत किए जाने वाले प्राधिकार पत्रों की पंजी भी संधारित की जाए जिसमें मुख्य details उल्लिखित हों।

16. पंचायती राज विभाग, बिहार का पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या- 4715 दिनांक 24.08.2021 की प्रति संलग्न है।

17. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया से संबंधित कर्मियों जिन्हें प्रवेश पत्र/ प्राधिकार पत्र निर्गत करेगा उन्हें कोविड-19 के दिशा-निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/- 13/9/21

सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-234/2021 3923 पटना, दिनांक - 14.9.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग में वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

ह०/- 13/9/21

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-234/2021 3923 पटना, दिनांक - 14.9.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 13/9/21

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-234/2021 3923 पटना, दिनांक - 14.9.21

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 13/9/21

सचिव।

ह०/- 13.9.21

D:\Sanjeev sir\P_E 2021\15

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार, पटना

प्राधिकार पत्र
(मतदान केन्द्रों में प्रवेश/पुनः प्रवेश हेतु)

अहस्तान्तरणीय
(जारी करने वाले प्राधिकारी की मोहर के बिना मान्य नहीं)

संख्या ....

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 58 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा :

....

....

का प्रतिनिधित्व कर रहे,

श्री/श्रीमती/कु ....

को वर्ष 2016 में होने वाले पंचायत निर्वाचन में नीचे की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र के अन्दर, प्रवेश/पुनः प्रवेश हेतु प्राधिकृत करता है।

कृपया नोट करें कि मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या विडियो फिल्म बनाना सख्त मना है।

फोटो

धारक के हस्ताक्षर

-1-

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला	संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश और प्राधिकार से

हस्ताक्षर$

(क) *उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

(ख) * जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)

ता. ..../.........../ 2006

$ उपर्युक्त (क) या (ख) द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित होने के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने पर मान्य नहीं। प्रतिकृति हस्ताक्षर की अनुमति नहीं।

* अप्रयोज्य शब्द हटा दें।

सील

-2-

इस प्राधिकार पत्र को प्रयोग करने के लिए निबंधन व शर्ते नीचे दी गई हैं :-

1. यह प्राधिकार पत्र इस विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि इस प्राधिकार पत्र के धारक को पूरे समय निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

2. किसी भी स्थिति में यह प्राधिकार पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है और इसका प्रयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिसका नाम पन्ने की दूसरी तरफ दिया हुआ है। प्राधिकार पत्र के धारक की पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि करेंगे। इसमें जिसका नाम दिया गया है, उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य के द्वारा इसका प्रयोग गंभीर अपराध है और इस कारण अपराधी उचित कानूनी कार्रवाई का भागी होगा।

3. व्यक्ति सहज पहचान के लिए अपना पहचान पत्र और परिचय कार्ड साथ में लाए, जो उन्हें उस संगठन द्वारा जारी किया गया है, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

4. कृपया नोट करें कि मतदान कक्ष के अन्दर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या विडियो फिल्म बनाना सख्त मना है।

4. कृपया नोट करें कि मतदान कक्ष के अन्दर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या विडियो फिल्म बनाना सख्त मना है।

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार, पटना

प्राधिकार पत्र
(मतदान केन्द्रों में प्रवेश/ पुनः प्रवेश हेतु)

अहस्तान्तरणीय
(जारी करने वाले प्राधिकारी की मोहर के बिना मान्य नहीं)

संख्या ....

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 58 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा :
....
....
का प्रतिनिधित्व कर रहे,
श्री/ श्रीमती/ कु ....
को वर्ष 2016 में होने वाले पंचायत निर्वाचन में नीचे की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र के अन्दर, प्रवेश/पुनः प्रवेश हेतु प्राधिकृत करता है।

कृपया नोट करें कि मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या विडियो फिल्म बनाना सख्त मना है।	फोटो

धारक के हस्ताक्षर

D:\Sanjeev sir\P_E 2021\18

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला	संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश और प्राधिकार से

हस्ताक्षर$

(क) *उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

(ख) * जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)

ता. ..../.........../ 2006

$ उपर्युक्त (क) या (ख) द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित होने के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने पर मान्य नहीं। प्रतिकृति हस्ताक्षर की अनुमति नहीं।

** अप्रयोज्य शब्द हटा दें।*

सील

इस प्राधिकार पत्र को प्रयोग करने के लिए निबंधन व शर्ते नीचे दी गई हैं :-

1. यह प्राधिकार पत्र इस विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि इस प्राधिकार पत्र के धारक को पूरे समय निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

2. किसी भी स्थिति में यह प्राधिकार पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है और इसका प्रयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिसका नाम पन्ने की दूसरी तरफ दिया हुआ है। प्राधिकार पत्र के धारक की पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि करेंगे। इसमें जिसका नाम दिया गया है, उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य के द्वारा इसका प्रयोग गंभीर अपराध है और इस कारण अपराधी उचित कानूनी कार्रवाई का भागी होगा।

3. व्यक्ति सहज पहचान के लिए अपना पहचान पत्र और परिचय कार्ड साथ में लाए, जो उन्हें उस संगठन द्वारा जारी किया गया है, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।